न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 39/23 GCMS NO 2023/82

1. मन्दोरी पुत्र श्योला
2. रामप्रसाद पुत्र श्योला
3. गिर्राज पुत्र श्योला
4. नत्थू पुत्र श्योला (मृतक) जरिये कायम मुकाम
   4/1. मुनेश पुत्र नत्थू
   4/2. कालू पुत्र नत्थू
   4/3. राकेश पुत्र नत्थू
   4/4. हरेती पुत्री नत्थू
   4/5. सीता पुत्री नत्थू
   4/6. सीमा पुत्री नत्थू
   4/7. सपिता पुत्री नत्थू
   4/8. केसर पत्नि नत्थू जातियान माली निवासीयान रायसना तहसील नादौती जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भरतलाल पुत्र कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम रायसना तहसील नादौती जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदार नादौती जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 115/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.9.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती)

अभिभाषक अपीला0 श्री रविशंकर सैनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री छोटू सिह गुर्जर

दिनांक 28.10.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.9.19 न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती पेश की हैं ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण की आराजी खसरा न0 288/1630 रकबा 1 [illegible] वाके ग्राम रायसना वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पिता कन्हैया की खातेदारी मे दर्ज भूमि थी। इस खसरा न0 मे वादी के पिता कन्हैया व पुरखे इस भूमि को निरन्तर खेती करते चले आ रहे थे। अब वादीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 25.6.99 को हो चुकी है। इसके पश्चात वादीगण बतौर खातेदार ख0न0 288/1630 के बतौर खातेदार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि एकीकरण के पश्चात हुए सेटलमेंट मे ख0न0 288/1630 के नये नम्बर 371 रकबा 30 ऐयर बनाया है। यह ख0न0 371 सेटलमेंट की गलती से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। हाल ही मे हुए सेटलमेंट कार्य मे सेटलमेंट विभाग द्वारा भारी अनियमितता की है। राजस्व रिकार्ड की सत्यता को नष्ट किया है। प्रतिवादीगण चालाक किस्म के व्यक्ति है उन्होने भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियो से मिलकर ख0न0 371 को अपनी खातेदारी मे दर्ज करवा लिया। जबकि सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही है। भूमि ख0न0 371 वादी के पिता कन्हैया के नाम दर्ज होनी चाहिए थी और अब वादी के पिता का 5 वर्ष पूर्व देहावसान हो जाने के कारण उक्त भूमि वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज होना न्याय संगत है। सेटलमेंट विभाग ने मिलान क्षैत्रफल मे गलती से गत ख0न0 288/1630 को रकबा 10 विस्वा दर्ज किया है जबकि 1 बीघा 5 विस्वा दर्ज करना चाहिए था। वादीगण को दिनांक 3.7.04 को इस गलती का ज्ञान हुआ। जब वादी खेत खसरा न0 371 की खेती करने लगा तब प्रतिवादीगण ने उसमे आकर कहा कि अब तुझे तेरे खेत ख0न0 371 मे खेती नही करने देगे। यह भूमि हम प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है। यह वाद कारण उत्पन्न होने से वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र वादीगण घोषित फरमाया जावे कि हाल ख0न0 371 रकबा 30 ऐयर ग्राम रायसना तहसील नादौती की वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है, जिसे प्रतिवादीगण के खाते से हजफ कर वादीगण के खाते मे दर्ज की जावे। साथ ही मिलान क्षैत्रफल मे गत ख0न0 288/1630 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे । इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है। क्योकि दिनांक 5.7.19 को अपीलांट/प्रतिवादीगण के वकील द्वारा वाद पत्र मे नो इन्ट्रेक्शन जाहिर किया है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एवं वकील द्वारा अपीलांट को इस बाबत कोई सूचना नही दी गई ना ही अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। सहवन से अधिनस्थ न्यायालय की आर्डर शीट मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Bairot
Date: 2025.03.27 14:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वकुलाय फरीकेन उपस्थित होने का उल्लेख कर रखा है। जबकि उस दिन प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी व्यक्ति असालतन व वकालतन अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय मृतक प्रतिवादी संख्या 2 नत्थू के विरूद्व पारित किया है। नत्थू की मृत्यु दिनांक 9.3.16 को हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे वादी की ओर से मृतक नत्थू के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु कोई कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। रेस्पो0 संख्या 1 /वादी का वाद पत्र नत्थू प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु के 90 दिनो बाद अवेट हो चुका है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना दिये बिना ही वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति मे कानूनी प्रावधानो के विपरीत दावा डिक्री किया गया है। मृतक के विरूद्व पारित निर्णय/डिक्री अवैधानिक है। अधिनस्थ न्यायालय की आर्डर शीट दिनांक 7.4.17 मे वकील वादी ने वादी संख्या 2 मु0भोरी की मृत्यु होना जाहिर किया है लेकिन वादी द्वारा उसके कायम मुकामान को पक्षकार बनाने हेतु कोई आवेदन नही किया है। इसलिए वादी का वाद पत्र आदेश 22 नियम 3 (2) सीपीसी के तहत अवेट हो चुका है। मृतक वादी संख्या 2 के वादी संख्या 1 के अलावा दो पुत्रीयां लाडबाई व संतरा मौजूद है जो मृतक वादियां संख्या 2 की विधिक वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। ग्राम रायसना की भूमि साबिक ख0न0 288 मे से ख0न0 288/1631 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा भूमि अपीलांट संख्या 1 ता 4 के पिता श्योला पुत्र मंगल्या माली की खातेदारी भूमि थी। जो जमाबंदी सम्वत 2022–25, 2026–2029 एवं 2030–33 मे दर्ज है। रेस्पो0 के पिता की भूमि ख0न0 288/1630 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा अलग भूमि है। साबिक ख0न0 288 के सेटलमेंट विभाग द्वारा नया जो नम्बर बनाये है वह 364,365,368,369,370,371 व 372 है। अपीलांथीगण का कब्जा नये ख0न0 371 पर है तथा उसी के आधार पर ख0न0 371 रकबा 0.30 है0 भूमि अपीलार्थीगण के पिता श्योला पुत्र मंगल्या के नाम दर्ज की थी लेकिन गलती से सेटलमेंट विभाग द्वारा तुलनात्मक क्षेत्रफल (मिलान क्षेत्रफल) मे नये ख0न0 371 का साबिक ख0न0 288/1650 सहवन से गलत दर्ज कर दिया गया। रेस्पो0 संख्या 1 भरतलाल के पिता कन्हैया पुत्र मोरपाल का कब्जा नये ख0न0 372 पर है जो सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से सिवायचक गैर मुमकिन पहाड दर्ज कर दी गई है। वादी/रेस्पों0 को ख0न0 372 को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु धारा 136 एल आर एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। रेस्पो0 द्वारा बदनियती पूर्वक अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को हडपने के लिए झूठे तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे डिक्री कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण अपने बुर्जगो के समय से ही भूमि साबिक ख0न0 288/1631 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पो0/वादी को इस भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नही है। साबिक ख0न0 288/1631 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा के नये ख0न0 371 रकबा 0.30 है0 बना है जो अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। रेस्पो0 का कब्जा शुरू से ही नये ख0न0 372 पर है। जिसका पुराना ख0न0 288/1630 है। रेस्पो0 संख्या 1 वादी ने दावा गलत तथ्यो के आधार पर दायर किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 4.7.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

को रेस्पो/वादी द्वारा मोबाईल टावर लगाने पर लगाने हेतु आमादा होने पर हुई। इस प्रकार अपील अन्दर मियाद मय धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विवादित भूमि ख0न0 371 रकबा 0.30 है0 ग्राम रायसना को वापिस अपीलांट के नाम दर्ज कराने के आदेश पारित कराने की कृपा करे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि आराजी खसरा न0 288/1630 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम रायसना रेस्पो0/वादी के पिता कन्हैया की खातेदारी मे दर्ज भूमि थी। इस खसरा न0 मे रेस्पो0/वादी के पिता कन्हैया व पुरखे इस भूमि को निरन्तर खेती करते चले आ रहे थे। अब रेस्पो0 के पिता की मृत्यु दिनांक 25.6.99 को हो चुकी है। इसके पश्चात रेस्पो0 बतौर खातेदार ख0न0 288/1630 के बतौर खातेदार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भूमि एकीकरण के पश्चात हुए सेटलमेंट मे ख0न0 288/1630 के नये नम्बर 371 रकबा .30 ऐयर बनाया है। यह ख0न0 371 सेटलमेंट की गलती से अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। हाल ही मे हुए सेटलमेंट कार्य मे सेटलमेंट विभाग द्वारा भारी अनियमितता की है। राजस्व रिकार्ड की सत्यता को नष्ट किया है। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन वाद मे नो इन्ट्रक्शनस किया गया है। प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.9.19 ''वकुलाय फरीकेन उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई'' आदेशिका दिनांक 11.9.19 मे स्पष्ट अंकन है। इस प्रकार अपीलांट का एक पक्षीय निर्णय पारित करने का कथन सिद्व नही होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतःअपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि साबिक ख0न0 288 मे से श्योला पुत्र मंगल्या जाति माली को रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एवं कन्हैया पुत्र मोहरपाल को 1 बीघा 5 विस्वा का आवंटन एक साथ हुआ था। जिसका नामा0संख्या 138 व 136 से तस्दीक हुआ। जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 के खाता न0 413 के खसरा न0 288/1631 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा बारानी 3 श्योला पुत्र मंगल्या जाति माली के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। जबकि खाता संख्या 440 के ख0न0 288/1630 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा किस्म बारानी 3 जो कन्हैया पुत्र मोहरपाल जाति माली सा0देह जमाबंदी सम्वत 2030–2033 मे दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम रायसना तहसील नादौती के साबिक ख0न0 [illegible]50 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा के हाल नवीन ख0न0 371 रकबा 0.30 है0 [illegible] खतौनी सम्वत 2031 मे ख0न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

288/1630 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा कन्हैया पुत्र गोहरपाल जाति माली व ख0न0 288/1631 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा श्योला पुत्र मंगल्या जाति माली के नाम का अंकन है। जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मे खसरा न0 371 रकबा 0.30 है0 किस्म बारानी 3 नत्थू,मनोहरी,रामप्रसाद,गिर्राज पिसरान श्योला जाति माली के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली मे उपलब्ध दो मिलान क्षैत्रफलो मे भिन्नता है। अपीलांट का कथन रहा कि नत्थू की मृत्यु दिनांक 9.3.16 को हुई है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय 11.9.19 को पारित किया गया है। मृतक नत्थू के जायज वारिसान को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है ना ही मृतका/वादियां संख्या 2 के दो पुत्रीयां लाडवाई व संतरा का होना बताया है। जो वादी भरतलाल पुत्र कन्हैया के बयान दिनांक 6.8.10 से सिद्व है। जिन्हे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे पक्षकार नही बनाया गया है। जायज वारिसान का भूमि पर बराबर का हक हकूक होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विरूद्व डिकी पारित की गई है जो विधि विरूद्व होना सिद्व हैं।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती के मु0नं0 115/10 निर्णय व डिकी दिनांक 11.9.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावे मे वादी से प्रतिवादी संख्या 2 मृतक नत्थू पुत्र श्योला एवं वादियां संख्या 2 भोरी देवी पत्नि स्व0 कन्हैया के कायम मुकामान के प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना जाकर कायम मुकामान का निर्धारण किया जाकर तथा प्रकरण मे दो अलग अलग मिलान क्षैत्रफलो के संबंध मे विस्तृत जॉच कर प्रकरण की मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर नादौती के यहॉ दिनांक 02.12.2024 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:35:11 IST
Reason: SelfAttested